यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-**IX,** वा णज्य कर**,** देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-**IX,** वा णज्य कर**,** देहरादून के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री नि खल गोस्वामी व. ले.प. द्वारा दिनांक 08.01.2018 से 16.01.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः (प्रथम लेखापरीक्षा) इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री - सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक - से - तक श्री - लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह - से - तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कर संग्रह, हरिद्वार

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	-
2015-16	3213.60
2016-17	3648.48

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....A.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-**IX,** वा णज्य कर**,** देहरादून को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-**IX,** वा णज्य कर**,** देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:**

व्यय: -

राजस्व: -

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2(ब)

प्रस्तर सं0 01:– आई0टी0सी0 रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति ₹ 0.24 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधिन रहते हुए जैसे की इस धारा में विर्निदिष्ट है, किये गये क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाय।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–खण्ड–9, वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सनरे लाइटिंग क0नि0 वर्ष 2010–11 में प्रान्तीय खरीद पर कुल आई0टी0सी0 ₹ 260283/– का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था। पत्रावली में संलग्न क्रय सूची में सर्वश्री इन्डो एशियन फयुजगीयर लि0 का टिन नं0 05005149311 को इन्टरनेट जांच में इनवेलिड पाया गया जिस से क्रय पर ₹ 24645/– का आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा रू0 24645/– का लिया गया आई0टी0सी0 रिवर्स योग्य था जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर सूचित किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2(ब)

प्रस्तर–2:– कर का न्यूनारोपण :–₹ 0.89 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड–9, वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियां पायी गयीः–

1– व्यापारी सर्वश्री सांईनाथ ट्रेडर्स क0नि0 वर्ष 2013–14 में इलैक्ट्रीकल वायर की बिक्री ₹ 361500/– की गयी थी, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से ₹ 18075/– कर आरोपित किया गया था, जबकि इलैक्ट्रीकल वायर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसुची में सम्मिलित न होने के कारण 13.5% की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

अतः व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 361500/– की इलैक्ट्रीकल वायर की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5% की दर से ₹ 30727/– का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

2– व्यापारी सर्वश्री अनु प्लास्टिक क0नि0 वर्ष 2013–14 में प्लास्टिक गुडस की कुल बिक्री ₹ 690580/– की गयी थी जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से ₹ 34529 कर आरोपित किया गया था जबकि प्लास्टिक गुडस उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के किसी भी अनुसुची में सम्मिलित न होने के कारण 13.5% की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

अतः उपरोक्त बिक्री पर 8.5% की अन्तरीय दर से ₹ 58699/– का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **कर सूचत कया जायेगा।**

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0 03ः–अर्थदण्ड का आरोपण :–₹ 0.70 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(i)(vii) के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यापारी द्वारा बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के **वलम्ब** से अपना स्वीकृत कर जमा करता है तो कम से कम 10% की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड–9, वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः–

1– व्यापारी सर्वश्री ए0 जी0 एस0 ट्रॉजिट **टैक्नोलॉजी** लि0 क0नि0 वर्ष 2013–14 में चतुर्थ त्रैमास का स्वीकृत कर ₹ 621891/– बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के 4 दिन (29.04.2014) विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(i)(vii) के प्रावधानों के अनुसार कम से कम 10% की दर से ₹ 62189/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

2– व्यापारी सर्वश्री प्रयाग पैकेजिंग क0नि0 वर्ष 2012–13 में प्रथम तिमाही का स्वीकृत कर ₹ 75217/– बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के 36 दिन (30.08.2012) विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10% की दर से ₹ 7522/– का अर्थदण्ड आरोपणीय होना चाहिए था लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार वभाग द्वारा 69711(62189+7522) अर्थदण्ड आरो पत नहीं कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-**IX,** वा णज्य कर**,** देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   (1) भाग-2 (ख) प्रस्तर 01,02,03
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	सुश्री सीमा आर्य	अ सस्टेंट क मश्नर
(ii)	सुश्री उज्मा परवीन	वा णज्य कर अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-**IX,** वा णज्य कर**,** देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र